



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20825

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1691/2026

रमेश चंद्र पांडेय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 30 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अनिल कुमार मिश्र, बृजेंद्र कुमार मिश्र

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता(गण) के विद्वान अधिवक्ता को मुजा तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. कुछ तर्कों के पश्चात्, याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना सीमित की और प्रार्थना की कि प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत याचिकाकर्ता(गण) द्वारा दायर वाद संख्या 145/2023, कंप्यूटर वाद संख्या टी202314360300145 को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह तर्क दिया गया है कि मामला वर्ष 2023 से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में, वर्तमान याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार और जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन दिए बिना निर्णीत करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"